रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1962] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935
No. 1962] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2013

का.आ. 2561(अ).—जबकि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तथा समुद्री अभयारण्य के चारों ओर 326.26 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की पहचान की गई है, जिसमें से 208.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमि की दिशा में, 105.14 वर्ग किलोमीटर समुद्र की दिशा में और 12.5384 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा नदी द्वारा घिरा हुआ है और 457.92 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री अभयारण्य से घिरा हुआ है और 162.89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वर्ष 1982 में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा जामनगर जिले के खाड़ी का संपूर्ण दक्षिणी तट 42 द्वीप समूहों से गोलाकार रूप से घिरा हुआ है व उनमें से अनेक मूंगों की समुद्री चट्टान और कच्छ वनस्पति पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं;

और, कच्छ की खाड़ी में उच्च घनत्व और विविधता, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास जैसे रेतीला, गदला, चट्टानी समुद्र तल व मूंगा तल व नमभूमि जंगल के कारण है। "समुद्र का वह भाग जो कि भागतः संकीर्ण तट से घिरा होता है और अपेक्षाकृत मुख की तरफ संकीर्ण व अंदर में फैलाव होता है", को खाड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है।

और, कच्छ की खाड़ी "इण्डो मलायन परिमंडल तट" जैव-भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है, जिसे संघ का प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र श्रेणी-1 के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के रूप में विचार करना होगा;

और, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति मुख्यतः नमभूमि वनस्पति व विभिन्न समुद्रिक शैवाल जिसके अंतर्गत व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे ऐगारोफाइटिस और एलीजीनोफाइटिस भी सम्मिलित हैं तथा खाड़ी तट रेखा के किनारे ऐवीसिनीया, रीजोफोराए व नमभूमि वनस्पति सेरीपोस प्रजाति से भरा हुआ है और उक्त क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय प्रजाति जैसे कि सलवाडोरा, जीजीपस व प्रोसोपिस प्रजाति पाए जाते हैं;

और, 70 स्पंज प्रजाति, कठोर मूंगा की 37 प्रजातियां व कोमल मूंगा की 24 प्रजातियां, मछली की 150-200 प्रजातियां, झींगों की 27 प्रजातियां, केकड़ों की 30 प्रजातियां, मोलस्क की 200 प्रजातियां, समुद्री कछुवों की 3 प्रजातियां और समुद्री सांप की 3 प्रजातियां, समुद्री स्तनधारी की 3 प्रजातियां, जलीय पक्षी की 94 प्रजातियां और क्षेत्रीय पक्षियों की 78 प्रजातियां समुद्री अभयारण्य में पाये जाते हैं;

और, अनेक विकासात्मक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत औद्योगिक, बंदरगाह, अवसंरचना और मछली पकड़ना आदि भी हैं, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तथा समुद्री अभयारण्य के आस-पास चल रहे हैं और जिसका प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तथा समुद्री अभयारण्य पर पड़ रहा है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तथा समुद्री अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र संरक्षण व उसकी सुरक्षा आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण व पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में इसके भीतर या इसके पर्यावरण में वन्यजीवों का संरक्षण, प्रसार या विकसित हो सके;

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 उपधारा (2) के खंड (V) और खंड (XiV) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रारूप अधिसूचना जो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्या का.आ.353 (अ) तारीख 29 फरवरी, 2012 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की राजपत्र प्रतियां जनता को 29 फरवरी, 2012 को उपलब्ध कराई गई थी;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) तथा, खंड (XiV) और उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर भूमि की दिशा की ओर तटीय सीमा से एक किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र को; समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य की सीमा से समुद्र क्षेत्र में 200 मीटर के भीतर क्षेत्र को और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली 31 नदियां जो जिनकी लंबाई 0 से 5 किमी की और चौड़ाई नदी के दोनों पाटों पर नदी के केन्द्र से 250 मीटर की होती है और जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा में होती है वे क्षेत्रों पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात्

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एक राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदनशील जोन निगरानी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसजेडएमसी कहा जाएगा) का गठन करती है और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह एसईएसजेडएमसी निम्नलिखित अनुसरण में इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी करेगी, अर्थात् :–

1. **पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएं.–** (1) भूमि की दिशा में पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पासंजो कहा जाएगा) का विस्तार 208.58 वर्ग किलोमीटर लगभग में गठित है जिसके अंतर्गत समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य से संलग्न 36 गांव भी हैं। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा भूमि की दिशा में समुद्री तटीय तक 1 किलोमीटर तक विस्तार है जिसके अंतर्गत एक किलोमीटर की इस सीमा तक पूर्ण या आंशिक सर्वे सं. भी इसमें सम्मिलित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का समुद्र की दिशा में विस्तार 105.14 वर्ग किमी. का है और उक्त जोन में समुद्र की दिशा में समुद्री राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य की सीमा से 200 मीटर के क्षेत्र को उक्त जोन में रखा गया है।

(3) 31 नदियां जो कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और उक्त जोन में आने वाली नदियों की लंबाई 0 से 5 किमी. के मध्य परिवर्तित होती रहती है और जिसमें नदी के दोनों तटों पर नदी के मध्य से 250 मीटर की चौड़ाई भी उक्त जोन में सम्मिलित है जिससे 12.53 वर्ग किमी. के कुल क्षेत्र का घटक है।

(4) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा पूर्व में 22°55'31.33'' उ अक्षांश और 70°32'57.02'' पू देशांतर, पश्चिम में 22°28'1.31'' उ अक्षांश और 69°3'3.33.77'' पू देशांतर, उत्तर में 22°56'14.26 उ अक्षांश और उत्तर की और 70°25'54.27' पू देशांतर और दक्षिण में 22°13'12.35 उ अक्षांश तथा 69°17'43.97 पू देशांतर पर स्थित है।

(5) इस अधिसूचना के **उपाबंध–'क'** में समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का सीमा विवरण दिया गया है।

(6) इस अधिसूचना के **उपबंध–'ख'** में पारिस्थितिक संवेंदनशील जोन का नक्शा के साथ में इसकी बाउण्ड्री की विस्तार के अक्षांश देशांतर का विवरण उल्लिखित है।

(7) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची **उपाबंध–'ग'** के रूप में संलग्न है और आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा इसका पुनःविलोकिन और पुष्टि की जाएगी।

2. **समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**— (1) राज्य सरकार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और वह पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित होगी।

(2) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित स्वायत्त निकायों और राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, कृषि, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुजरात समुद्र तटीय प्रबंधन प्राधिकरण, जल संसाधन, उद्यान, पंचायती राज, ग्रामीण विकास आदि

विभागों के सम्यक् रूप अंतर्वलित करके तैयार होगी जिससे उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातें समाविष्ट हो जायें।

(3) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलसंभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(4) आंचलिक महायोजना सभी ग्राम वन्दोवस्तों, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, उर्वरा भूमि, हरित क्षेत्र, उद्यान क्षेत्र, फलोद्यान, झीलें और अन्य जल निकाय का सीमांकन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में विकास को नियमित करेगी ताकि वास्तविक निवासियों के अधिकारों और विरोधीकारों को प्रभावित किये बिना स्थानीय जनता की जरूरतें को पूरा किया जा सके और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिये पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

(6) मॉनीटरी समिति के लिए आंचलिक महायोजना किसी विनिश्चिय को करने के लिए, जिसके अंतर्गत शिथिलीकरण के लिए विचार करना भी है एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

(7) (क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में वाणिज्यिक या औद्योगिक विकासामूलक गतिविधियों के लिए मनोरंजन के प्रयोजन लिये जंगल, उद्यान क्षेत्रों, कृषि, पार्क और निश्चित खुले स्थानों जैसी भूमि के उपयोग में परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा :

IndiaCode

परन्तु विद्यमान स्थानीय आबादी के नैसर्गिक वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिये ही राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदनशील जोन मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ईएसजेड परिवर्तन अनुज्ञात होगा। परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना जनजातीय उपयोग की भूमि का भूमि उपयोग का परिवर्तन गैर जनजातीय उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।

(8) हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगे।

(10) (क) गुजरात राज्य की सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार पर्यटन महायोजना के अनुसार पर्यटन गतिविधियां होंगी;

(ख) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का ही संघटक के रूप में होगी और वह संबंधित संरक्षित क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की विस्तृत वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कराया जा सकेगा।

(ग) इस पर्यटन महायोजना के प्राचलों के अंतर्गत ही सभी नई पर्यटन गतिविधियां, पर्यटन के लिये विकास या विद्यमान पर्यटन गतिविधियों का विस्तारीकरण अनुज्ञात होगा।

(घ) वहन क्षमता का अध्ययन, विद्यमान अवसंरचना पर वहन करने की क्षमता पर आधारित होगा और किसी परियोजना जिसके लिए पर्यावरण या वन अनापत्ति की अपेक्षा है के भविष्यकालिक प्रेक्षण पर आधारित नहीं होगा।

IndiaCode

(ड) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होता है तब तक मॉनीटरी समिति द्वारा विस्तृत जांच पश्चात् पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन गतिविधियों के विस्तारीकरण की अनुमति दी जायेगी और वह भी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

3. **पारिस्थितिक संवेदनशील जोन मे प्रतिषिद्ध, विनियमित और अनुज्ञेय गतिविधियां.**— (1) समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में गतिविधियां इस अधिसूचना से **उपाबंध–'घ'** के अनुसार प्रतिषिद्ध, विनियमित या अनुज्ञात होगी।

(3) (क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में किसी नई प्रदूषण फैलाने वाली इकाई लगाने और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाइयां जैसे नमक विनिर्माण इकाई, पोत तोड़ने वाली और निर्माणी इकाई, पोत परिवहन प्रांगण आदि को पारिस्थिति संवेदनशील जोन में बहिस्रावी जल, गारे आदि को अनुज्ञात नहीं होगा और वे ब्राइन जल या हानिकारक रसायनों के जल में रिसाव को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करेंगे।

(ग) रिफाइनरी से अपरिष्कृत सामग्री (क्रूड तेल) और तैयार माल वहन करने वाले पोत पारिस्थितिक संवेदनशील जोन को प्रदूषित नहीं करेंगे।

(घ) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में बैलास्ट जल या किसी हाइड्रो-कार्बन सामग्री की धुलाई को निकालने की अनुज्ञात नहीं होगा।

IndiaCode

(4) स्थानीय ग्राम अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से संबंधित कृषि आधारित लघु उद्योग, क्रियाकलाप और स्थानीय कृषि पर आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित अवसंरचना गैर कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्य संक्रमण के लिए राजस्व प्राधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त करने के अधीन अनुज्ञात होगी।

(5)(क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में सभी खदान क्रियाकलापों पर पाबंदी होगी और कोई नया खनन पट्टा मंजूर नहीं किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में कवच या कोई अन्य समुद्री संसाधन के संग्रहण प्रतिषिद्ध होगा।

(6) मछली को उपकरणों द्वारा पकड़ना जिसके अंतर्गत ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ना भी है प्रतिषिद्ध होगा।

(7)(क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में या उसके चारों ओर निकट यानों का संचलन को विनियमित करने में कड़े संन्नियमों का पालन करना होगा।

(ख) माल आदि के परिवहन के दौरान कच्छ वनस्पति और अन्य वनस्पतिजात तथा प्राणिजात पर धूल कणों के फैलने को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाएंगे।

(ग) गुजरात समुद्रीय बोर्ड और औद्योगिक इकाईया अपनी जैटी का उपयोग करने में उपाय करेगी जिससे उनके गोदामों या पारेषणों से धूल के कण न फैलें।

(घ) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में या उसके निकट यानों से ईंधन के रिसाव और तेल के छलकने के लिए भी निवारक उपाय किए जाएंगे।

IndiaCode

(8) या तो, वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर किसी वृक्ष को वन भूमि की दशा में, राज्य सरकार, सरकारी, राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना काटा नहीं जाएगा अनुज्ञा ऐसी रीति में प्रदान की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए।

(9) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्लास्टिक, लिमिनेट और टैट्रा पैक का उपयोग इस अधिसूचना से उल्लिखित क्रियाकलापों के अनुसार विनियामित होगा।

(10) कोई गैर वन्य क्रियाकलाप पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र सं.6–10/2011डब्ल्यूएल तारीख 15 मार्च, 2011 और तारीख 19 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसरण विनियमित होगें।

(11)(क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय या जल स्रोत में किसी गैर उपचारित बहिःस्राव का विसर्जन अनुज्ञात नहीं होगा।

(ख) सभी विद्यमान उद्योग या आवासीय क्षेत्रों से बहिःस्राव को उपचारित और उचित तौर से पुनःचक्रित किया जाएगा तथा यदि संभव हो तो उपचारित जल को विभिन्न प्रयोजनों के लिए पुनःउपयोग किया जा सकेगा।

(ग) यदि उपचारित या गैर उपचारित का बहिःस्राव अपरिहार्य है, तो उसे जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसरण में सर्वदा लंबी दूरी के रिसाव रहित नलों के माध्यम से गहरे समुद्र में किया जाएगा।

(12)(क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में किसी औद्योगिक ठोस अपशिष्टों का बहिःस्राव प्रतिषिद्ध होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी घरेलू ठोस अपशिष्टों के जैव विघटनीय और गैर जैव विघटनीय संघटकों के पृथक्करण के लिए योजना तैयार करेंगे।

IndiaCode

(ग) जैव अपघटनीय सामग्री को अधिमानतः कम्पोस्टकरण या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित करना होगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन पर्यावरणीय स्वीकृत योग्य अवस्थानों पर किया जाएगा।

(घ) ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(ङ) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्टों का व्ययन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं.का.आ.908(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा जारी और समय–समय पर यथासंशोधित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित होगा।

13(क) सभी प्राकृतिक झरनों और जल धाराओं के जल ग्रहण क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजना के साथ जो उनकी प्राकृतिक रूप से शुष्क हो गए हैं की नवीकरण योजना को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित करना होगा।

(ख) इस क्षेत्र में और इसके निकट के क्षेत्रों में विकास के क्रियाकलापों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गनिर्देश तैयार करेगी।

4. **राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी निगरानी समिति.**— (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन एक राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी निगरानी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसजेडएमसी कहा गया है) का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात :—

(क) मुख्य सचिव, गुजरात सरकार — अध्यक्ष;

(ख) नगर विकास विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि — सदस्य;

(ग) पत्तन और परिवहन विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि — सदस्य;

(घ) प्राकृतिक संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का गुजरात राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि — सदस्य;

(ङ) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर — सदस्य;

(च) गुजरात राज्य के ख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ — सदस्य;

(छ) जिला कलक्टर, जामनगर या उसका प्रतिनिधि — सदस्य;

(ज) निदेशक, मेरीन नेशनल पार्क एंड मेरीन सेंचुरी — सदस्य;

(झ) निदेशक, पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार — सदस्य सचिव।

(2) एसईएसजेडएमसी, इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालना को मॉनीटर करेगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 3 के उपपैरा (2) और उपाबंध —घ के अधीन यथा उपबंधित निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाए, समय–समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में समाविष्ट और ईएसजेड में आने वाले क्रियाकलापों की जांच एसईएसजेडएमसी द्वारा, वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के उपपैरा (2) और उपाबंध —घ के अधीन यथा उपबंधित निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाए, समय–समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में नहीं आने वाले और ईएसजेड में आने वाले क्रियाकलापों की जांच एसईएसजेडएमसी द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर की जाएगी और उसे संबंधित विनियमनकारी प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) एसईएसजेडएमसी का अध्यक्ष या सदस्य–सचिव, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) एसईएसजेडएमसी, अपने विचार–विमर्श में सहायता के लिए विवाद्यकों के आधार पर आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों से प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी।

(7) एसईएसजेडएमसी, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, एसईएसजेडएमसी को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय–समय पर निदेश देगा।

उपबंध–क

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का सीमा वर्णन

उत्तरः– अदातरा गांव की तटीय सीमा; अदातरा गांव की सीमा, पाण्डली गांव की तटीय सीमा, हमूसर गांव की तटीय सीमा, समलासर गांव की तटीय सीमा, पोसितरा गांव की तटीय सीमा, पोसितरा गांव की सीमा और खतुम्बा गांव की तटीय सीमा, खतुम्बा गांव की सीमा, जाम नगर जिला के द्वारका तालुका के अनियरा गांव की सीमा, टाटा नमक, पिनधारा गांव की तटीय सीमा, मेवासा गांव और वीरपुर गांव की सीमा, वीरपुर गांव की समुद्री तटीय सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर तालुका का असोटा मोटा गांव की तटीय सीमा, नाना अशोटा गांव की तटीय सीमा, जकसिया गांव की तटीय सीमा, बेह गांव की तटीय सीमा, वचलबारा क्षेत्र की तटीय सीमा, कलावद सीमानी गांव की तटीय सीमा, चुदेश्वर गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के खामभलिया तालुका गोविंज गांव की तटीय सीमा, गांव खीरी की तरफ बलाचदी गांव की सीमा, बलाचदी गांव की तटीय सीमा, हदियाना गांव की तटीय सीमा, कुन्नद गांव की तटीय सीमा,, जोदिया गांव की तटीय सीमा, रंजीतपार गांव की तटीय सीमा, जामसर गांव की तटीय सीमा, मनामोरा गांव की तटीय सीमा, कोथरिया गांव की तटीय सीमा, रामपार पदाबेकर गांव की तटीय सीमा, बेला और उन्तबेट सामपार गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका के जिनजुदा गांव की तटीय सीमा फदेसर गांव की ओर।

पूर्वः– जिला राजकोट के मालिया तालुका के बोदकी गांव की सीमा, जिला जामनगर खामभलिया गांव की सीमा और गोइंज गांव की सीमा।

दक्षिणः– अदतरा गांव की ओर अरम्भदा गांव की सीमा, अरम्भदा गांव की ओर गांव पंडली की सीमा, गांव पंडली की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और पंडली गांव का सर्वे सं.13, 10, 16, 17, 3 पीटी, 23 पीटी, 28, हमूसर गांव की सीमा रिविन्यू से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं.16, 15, 14, 140, 44, 162, 163, 58, 59, 66, हमूसर गांव का रोड, समलासर गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और समलासर गांव का सर्वे स. 222, 221, 220, 110, 114, 113, 94, 95, 101, 100, 168, 170, 211, 212, 210, 209, 208, 233, 234, 239, 238, 260, 250, 251, 225, 288 पीटी, पोसिटरा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और पोसितरा गांव का सर्वे सं. 1 पीटी, 412, 419, 420, 430, 431, 482, 479, 478, 498, 501, 517, 516, 6, 7, 14, 36, 62, 63, 64, 65, 60, 52, 53, 40, 47, 453, 451, 447, 130, 131, 132, 133, 134, 135,152, 154, 167, 164, 237, 235, 243; 242, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 250, 249, 254, 251, 252, 280, 282, 283, 284, 285, 324, 323, 321, 320, 319, 336, 337, 338, 301, 302, 303 । मुलवेल गांव की तरफ पोसितरा गांव की सीमा और मुलवेल गांव का सर्वे सं.210 खतुम्बा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और खतुम्बा गांव का सर्वे सं.39/1, 38, 45, 46, 54, 53, 62, 56, 57, 58, 59 पीटी, अनियारी गांव की तुपानी गांव की सीमा, तुपानी गांव के गुरगध गांव

की सीमा और जिला जामनगर के द्वारका तालुका का सर्वे सं. 241 पीटी, गुरगध गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और गुरगध गांव का सर्वे सं. 61 पीटी, 20, 404 पीटी, 70, 28/2, 27, 25, 511, 436, 477, 478, 442, 445, 449, 450, 456, 457, 470, 471, 472, 473, 478, 479, 521, 520, 427, 402, 528, 421, 385, 533, 370, 364, 365, 366, पिन्धारा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर, सर्वे सं. 111, 112, 198, 90, 89, 82, 81, 80, 399, 420, 394, 71, 424, 68, 41, 40, 44, 422, 45, 46, 48, 49, 24, 336, 405, 339, 43, 4/1, 336 पीटी, 433, 371, 317, 316, पिन्धरा गांव का रास्तों, मेवासा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और निवासी गांव का सर्वे सं. 330 पीटी, 267, 266, 268/2, 270, 274, 424, वीरपुर गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और वीरपुर गांव का सर्वे सं. 118/2, 155, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110 पीटी, 59, 183, 56, 53, मोटा असोटा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और जिला जामनगर का कल्याणपुर तालुका के मोटा असोटा गांव का सर्वे सं.550, 215, 171, 238 पीटी, 167, 168, 181, 128, 129, 125, 124, 123, 192, 194, 201, 202, 200, 285, 286, 521, 520, 75, 76, 71, 72, 69, 66, 55, 538, 45, 47, नाना असोटा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और नाना अशोटा गांव का सर्वे सं.99, 101, 95, 92, 91, 128 पीटी, 66, 62/1, 68, 15, 16, 18, 22, 27, 27/2, 28, 50, 48, 47, जकसिया गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं. 101, 412, 406, 407, 74, 77, 73, 409, 72, जकसिया गांव की तटीय सीमा की नदी से 1 किलोमीटर पूरी, जकसिया गांव, बेह गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं.91, 89, 82, 81, 83, 73, 72, 67, 56, 58, 49, 50, 30, 27, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 9, 456, 455, 439, 431, 428, बेहगांव की नदी, वचलाबारा गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं. 859, 858, 857, 883, 844, 885, 804, 803, 810, 815, 814, 817, 822, 797, 739, 717, 711, 710, 712, 709, 572, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 581, 599, 598, 597, 596, 593, 530, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 511, 508, 509, 519, 520, 516, 515, 527, 594, 603, 604, 616, 617, 619, 642, 380, 379, 367, 364, 348, 347, 345, 363, 263, 264, 259, वचलाबारा गांव का ट्रैवर्स नम्बर, कलावद सीमानी गांव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और कलावद सीमानी गांव का सर्वे सं. 179 पीटी, 3, 7, 8, 161, 160, 158, 152, 149, 128, 132, 124, 125, 121, 91, 93, 182, चुदेश्वर गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर और चुदेश्वर गांव का सर्वे सं. 249, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 320, 325, 237, 129, 102, 72, 71, 70, 75, 76, 87, 86, गोइंज गांव की तटीय दूरी से 1 किलोमीटर और सर्वे सं. 267, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 304, 303, 302, 301, 299, 225, 211, 212, 197, 196, 185, 123, 179, जिला जामनगर का खंभलिया तालुका के गोइंज गांव के रास्तों, खीरी गांव की तरफ सचाना गांव की सीमा, बलाचदी गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर और बलाचदी गांव का सर्वे सं. 8, 86, 99, 116, 76, 118, 5, 140, 139, 138, 19, 20, 21, 119, 24, 25, 59, 58, 56, हदियाना गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और हदियाना गांव का सर्वे सं. 629 पीटी, 628 पीटी, 653 पीटी, कुन्नद गांव की तटीय सीमा की

दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं. 315 पीटी, 326, 329, 330, 332, 333, 334, कुन्नद गांव का रास्तों, जोदिया गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं. 411, 393, 391 पीटी, 390, 388, नदी, 339, 349, 325, 328, 310, 305, 302, 299 पीटी, 298 पीटी, जोदिया गांव का, रंजीतपुर गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और और रंजीतपुर की सर्वे सं. 410 पीटी, जामसर गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और जामसर गांव का सर्वे सं.119 पीटी, 121, 70, 71, 72, 74, 73, 94, 97, 98, 103, 102, मानामोरा गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और मानामोरा गांव का सर्वे सं. 299, 301, 302, 303, 304, 273, 274, 272, 271, 252, 367 पीटी, 242, 190, 368, 79, 63, 139, 62, 159, 158, 154, 156, 142, 141, 130 कोथारी गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और कोथरी गांव का सर्वे सं. 160, 146, 144, 133, 132, 117, 116, 119, 108, 107, 66, 67, 69, 74, रामापार पदाबेकर गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और रामापार पदाबेकार का सर्वे सं. 306, 305, 310, 297, 312, 313, 316, 119, 120, 121, 130, 131, 136, 133, 134, 163, 172, 171, 170, 169, 179, 183, 185, 184, बेला गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और बेला गांव का सर्वे सं. 192, 191, 175, 157, 291, 312, 293, अंतबेट समपार गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और अंतबेट समपार गांव का सर्वे सं. 232 पीटी,208, 175, 170, 151, 150, 146, 143, 140 फदसर गांव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं. 401/1 पीटी, जिनजुदा गांव की तटीय सीमा से 1 किलामीटर दूर और जिला जामनगर का जोदिया तालुका के जिनजुदा तालुका गांव का सर्वे सं.129/1, 3, 83, 37, 9, 39, 30, 78, 75, 701 ।

पश्चिमः— खीरी गांव की तटीय सीमा और जिला जामनगर के जोदिया तालुका और बलाचादी, जिला जामनगर के द्वारका तालुका का अरमभादा और अदात्तरा के गांव की सीमा।

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाली नदियों का वर्णन

उत्तरः— जिनजुदा गांव की तटीय सीमा और जिनजुदा नदी की अंतबेट सामपर, रंजीतपुर गांव की तटीय सीमा, की अजी नदी के जामसर और मानामोरा, जोदिया गांव की तटीय सीमा और उन्द नदी का कुन्नद और कनकावती नदी के हदियाना गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर जोदिया तालुका की नदी सचाना के सचाना और खीरी गांव की तटीय सीमा, जमबुदा नदी की जमबुदा गांव की तटीय सीमा, धुनवाव नदी का धुनवाव गांव के तटीय सीमा, नागना नदी के जूना नगना और नौनगना गांव के तटीय सीमा, सरमत नदी के सरमत गांव की तटीय सीमा, ससोई नदी के बेड गांव की तटीय सीमा, खावदी नदी के नानीखाबदी गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के जामनगर तालुका की गोगवा नदी गोगवा गांव की तटीय सीमा, जगवद नदी की जगवद गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर की लालपुर तालुका की झाखर नदी के गांव झाखर की तटीय सीमा, भराना नदी की गांव भराना की तटीय

सीमा, मनधा नदी के गांव मनधा की तटीय सीमा, सिनहन नदी की मोटा मनधा गांव की तटीय सीमा, घी नदी के गांव कोथाविसोत्री की तटीय सीमा, गोइंज नदी की गोइंज गांव की तटीय सीमा, बारा नदी की वचलाबर गांव की तटीय सीमा, बेह नदी का बेह गांव की तटीय सीमा, बेह की तटीय सीमा, और जकसिया नदी की जकसिया गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के खमभलिया तालुका गांव की नाना अशोटा नदी की तटीय सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर तालुका की रामी नदी पिंधारा गांव की तटीय सीमा, जिला जामनगर की द्वारका तालुका सामलासर नदी सामलासर गांव की तटीय सीमा।

पूर्व:– जिनजुदा नदी की फदसर और जिनजुदा गांव की सीमा, अजी नदी की मानोमोरा जमसर, गांव की सीमा, उन्द नदी की जोदिया गांव की सीमा, कनकावती नदी की हदियाना गांव की सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका की सचाना नदी के जोदिया तालुका खीरी गांव की सीमा, जम्बुदा नदी के जम्बुदा गांव की सीमा, धुनवाव नदी के धुनवाव गांव की सीमा, नवा नगना गांव की सीमा और नगना नदी की विभापर, सरमत नदी के गोरधान पार्क और खारा बेराजा गांव की सीमा, ससोई नदी की वसाई और सरमत गांव की सीमा, खावदी नदी की खावदी गांव की सीमा, जिला जामनगर के जामनगर तालुका की गोगवा नदी के गोगवा गांव की सीमा, जोगवाद नदी की जोगवाद गांव की सीमा, जिला जामनगर के लालपुर तालुका की झनखार नदी गांव के झनखार की सीमा, भराना नदी की भराना गांव की सीमा, मंधा नदी की तिम्बादी और मोटा मंधा गांव की सीमा, सिनहान नदी की नाना मंधा गांव की सीमा, कोथाविसोतरी गांव की सीमा, घी नदी की सोदासाला कबरविसोत्री की सीमा, गोइंज नदी के गोइंज गांव की सीमा, बारा नदी की वोचलबारा गांव की सीमा, बेह नदी की वोचलबारा गांव की सीमा, जकासिया नदी की बेह गांव की सीमा, जिला जामनगर खमभलिया गांव की नाना अशोता नदी की सीमा, मोटा असोटा नदी की नाना अशोटा गांव की सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर गांव की नदी मेवासा के रानी नदी की सीमा, जिला द्वारका तालुका के सामलासर नदी के सामलासर गांव और पोशित्रा की सीमा।

दक्षिण:– जिनजुदा नदी की फदसर गांव की सीमा, अजी नदी की मानामोरा, जामसर और रंजीतपुर गांव की सीमा, उन्द नदी की जोदिया गांव की सीमा, कनकावती नदी की हदियाना गांव की सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका की सचाना नदी फीखीरी गांव की सीमा, जमबुदा नदी की जमबुदा गांव की सीमा, धुनवाय नदी धुनवाय गांव की सीमा, नागना नदी की नागना और विभापार गांव की सीमा, सरमत नदी के सरमत गांव की सीमा, ससोई नदी के बेड गांव की सीमा, खवादी नदी के खवादी गांव की सीमा, गोगवा नदी के गोगवा गांव की सीमा, जिला जामनगर की गोगवा नदी के जामनगर तालुका गांव की सीमा, जोगवाद नदी की जोगवाद गांव की सीमा, जिला जामनगर की झनखार नदी की लालपुर तालुका गांव की सीमा, भराना नदी के भराना गांव की सीमा, मंधा नदी के मंधा गांव की सीमा, सिनहन नदी के मंधा गांव की सीमा, खीरी नदी के कोथाविसोत्री और खबरविसोत्री गांव की सीमा, गोइंज नदी के गोइंज गांव की सीमा, बारा नदी के वोचलाबारा गांव की सीमा, बेह नदी की बेह गांव की सीमा, जकासिया नदी के बेह गांव की सीमा, जिला जामनगर की नाना अशोता नदी

के खमभलिया गांव की सीमा, मोटा असोटा नदी के मोटा असोटा गांव की सीमा, जिला जामनगर की रानी नदी के कल्याणपुर तालुका और मेवासा और पिनडरा गांव की सीमा, जिला जामनगर के द्वारका तालुका की समलासर नदी की समलासर गांव की सीमा।

पश्चिमः— जिनजुदा नदी की जिनजुदा और अन्टबिट सामपार गांव की सीमा, मानामोरा गांव की सीमा, अजी नदी की रंजीतपार और जामसर गांव की सीमा, उन्द नदी की कुन्नद गांव की सीमा, कनकावती नदी की हदियाना गांव की सीमा, जिला जामनगर की सचाना नदी की जोदिया तालुका के सचाना और खीरी गांव की सीमा, जमबुदा नदी के जमबुदा गांव की सीमा, धुनवाय नदी के धुनवाय गांव की सीमा, नागना नदी के नागना गांव की सीमा, सरमत नदी के सरमत गांव की सीमा, ससोई नदी के बेड गांव की सीमा, खवादी नदी के खवादी गांव की सीमा, जिला जामनगर की गोगवा नदी के जामनगर तालुका गांव गोगवा की सीमा, जोगवद नदी की जोगवद गांव की सीमा, जिला जामनगर की झनखार नदी की लालपुर तालुका झनखार गांव की सीमा, भराना नदी की भराना गांव की सीमा, मनधा नदी की मनधा गांव की सीमा, सिनहान नदी की मोटा मंधा गांव की सीमा, घी नदी की कबरविसोत्री और खोता विसोत्री गांव की सीमा, गोइंज नदी की गोइंज गांव की सीमा, बारा नदी की वचलाबारा गांव की सीमा, बेह नदी की बेह गांव की सीमा, जकसिया नदी की जकसिया और बेह गांव की सीमा, जिला जामनगर की नाना अशोटा नदी की खमभलिया नाना अशोटा गांव की सीमा, मोटा असोटा नदी की मोटा असोटा गांव की सीमा, जिला जामनगर की रानी नदी की कल्याणपुर तालुका के पिंधारा गांव की सीमा, जिला जामनगर की समलासर नदी की द्वारका तालुका के समलासर गांव की सीमा।

<u>समुद्र के समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य की तरफ 200 मीटर के आस–पास पर्यावरणीय पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा</u>

उत्तरः— जनजरावादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा भी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बबुधोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेराजनी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, भाद की तरफ कच्छ की खाड़ी, भैदार टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर–पश्चिम चंकचट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिव्दी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, चन्दी चट्टान की कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलूभर के पश्चिम की कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, समुद्री क्षेत्र ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, मुण्डका टापू, दिदिका की तरफ कच्छ की खाड़ी, गदनियों कादो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कांदियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद मीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी,

कलुभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मरोदी और मान मरोदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोशीदो की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नागर नार नूजंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नविनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नोरू टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, रायेबेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रवलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबडी की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजी बेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीनार जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीनार नो वल की तरफ कच्छ की खाड़ी, सिकोतरी तितर धोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, सुई नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, अनटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी,वदीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तरफ ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी।

पूर्वः— ज़नज़रावादी की तरफ समुद्री अभयारण्य, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बाबूधोरा की तरफ क़च्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, बेराजनी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, भांद की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भैदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी और कच्छ की खाड़ी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर–पश्चिमी चंक चट्टान कोरल क्षेत्र की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, चन्द्री चट्टान के कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कालूभर पश्चिम की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, समुद्री क्षेत्र ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी; धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिदिका और मुण्डेका टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, गदनियों टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा टापू की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और मैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोशीदो की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नगरनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नोरू टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर समुद्री चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, राय बेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीबेट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीनार नो वल की तरफ कच्छ की खाड़ी, सिकोतारी टीटार धोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, सुई नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, अनटाडो

की तरफ कच्छ की खाड़ी, वादीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी पश्चिम की तरफ कच्छ की खाड़ी।

दक्षिण:—जनज़रावदी की तरफ समुद्री अभयारण्य, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, बाबू धोरो की तरफ समुद्री अभयारण्य, बरानी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, वीराजनी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, भाद की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भयदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी और राष्ट्रीय पार्क, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर पश्चिम चंक चट्टान कोरल निकट क्षेत्र की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा चट्टान की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, चन्द्री चट्टान के कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कालूभर कोरल पश्चिम की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ओखा के समुद्री क्षेत्र की तरफ कच्छ की खाड़ी, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, दिदिका, मुण्डका टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, गंधियो कादू टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा टापू की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ समुद्री अभयारण्य, कलावद नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और नैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोशिदो की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, नगरनार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, नोरू टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क पागर चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ समुद्री अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रायबिट की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य रिबडी की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीबिट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार नो वल की तरफ समुद्री अभयारण्य, सिकातरी तितर धोरो की तरफ समुद्री अभयारण्य, सुई नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, अनटाडो की तरफ समुद्री अभयारण्य, वादीनार की तरफ समुद्री अभयारण्य, ओखारी के पश्चिम की तरफ समुद्री अभयारण्य।

पश्चिम:— जनजरावादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, आजाद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, बाबू धोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेराजानी नार की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भाद की तरफ कच्छ की खाड़ी, भैदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुस्दा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी,

उत्तर–पश्चिम चंक चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मीठापुर के करीब कोरल कच्छ की खाड़ी, नरारा चट्टान के निकट कोरल कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल चन्द्री चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पश्चिम कालूभर की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखा के तटीय तरफ समुद्री अभयारण्य, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोलानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिदिका की तरफ कच्छ की खाड़ी, मुण्डेका टापू गांधियों कादो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदार टापू की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद नीनार की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और मैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री अभयारण्य, मोशीदो की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नागर नार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य और कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नोरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर चट्टान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, रायेबेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीबेट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजी नार जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार नो वल की तरफ समुद्री अभयारण्य, शिकोतारी टीटार घोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, सुई नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, अंटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी, वादीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी के पश्चिम की तरफ समुद्री अभयारण्य।

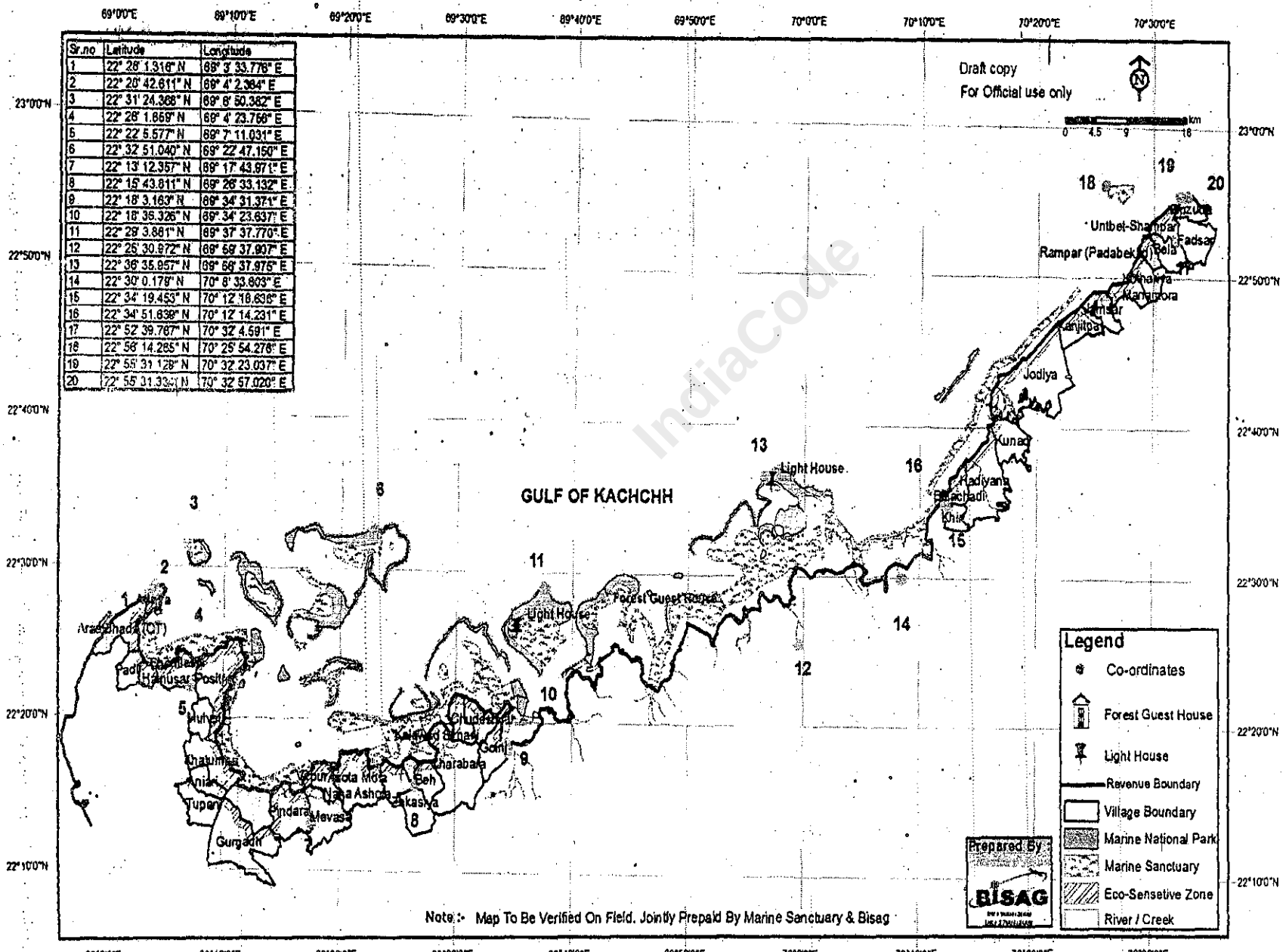
समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का कुल क्षेत्रफल

क्र.सं.	राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य का नाम	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टे. में
1.	समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य	(1) भूमि की ओर दूरी 1 किलोमीटर	20858.18
		(2) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाली नदी	1253.84
		(3) समुद्र की ओर 200 मीटर	10514.00
		कुल :–	32626.02

उपबंध–ख

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा

Sr.no	Latitude	Longitude
1	22° 28' 1.316" N	69° 3' 33.776" E
2	22° 26' 42.611" N	69° 4' 2.364" E
3	22° 31' 24.368" N	69° 8' 50.382" E
4	22° 28' 1.669" N	69° 4' 23.766" E
5	22° 22' 5.577" N	69° 7' 11.031" E
6	22° 32' 51.040" N	69° 22' 47.150" E
7	22° 13' 12.357" N	69° 17' 43.971" E
8	22° 15' 43.811" N	69° 26' 33.132" E
9	22° 18' 3.163" N	69° 34' 31.371" E
10	22° 18' 35.326" N	69° 34' 23.637" E
11	22° 29' 3.881" N	69° 37' 37.770" E
12	22° 25' 30.972" N	69° 59' 37.907" E
13	22° 36' 35.957" N	69° 56' 37.975" E
14	22° 30' 0.179" N	70° 8' 33.803" E
15	22° 34' 19.453" N	70° 12' 16.636" E
16	22° 34' 51.638" N	70° 12' 14.231" E
17	22° 52' 39.767" N	70° 32' 4.591" E
18	22° 56' 14.285" N	70° 25' 54.276" E
19	22° 55' 31.128" N	70° 32' 23.037" E
20	22° 55' 31.332" N	70° 32' 57.020" E



IndiaCode

उपाबंध—ग

समुद्री राष्ट्रीय पार्क के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में पड़ने वाले गांवों के अक्षांस और देशांतर का विवरण

क्र.सं.	गांवों के नाम	अक्षांश	देशांतर	तालुका
1.	बेला	22° 52' 48.180" उ	70° 29' 40.874" पू	जोदिया
		22° 52' 21.306" उ	70° 29' 59.395" पू	
2.	कुन्नाद	22° 40' 15.651" उ	70° 16' 8.782" पू	
		22° 39' 26.782" उ	70° 16' 27.660" पू	
3.	कोठरिया	22° 50' 30.953" उ	70° 28' 1.868" पू	
		22° 50' 15.318" उ	70° 28' 32.659" पू	
4.	खिरी	22° 34' 18.958" उ	70° 12' 17.735" पू	
		22° 34' 19.362" उ	70° 12' 21.109" पू	
5.	जोदिया	22° 40' 44.181" उ	70° 16' 24.411" पू	
		22° 40' 58.523" उ	70° 16' 55.072" पू	
6.	जामसर	22° 48' 9.412" उ	70° 23' 46.369" पू	
		22° 47' 55.433" उ	70° 24' 20.463" पू	
7.	झिंझुडा	22° 54' 27.746" उ	70° 31' 54.708" पू	
		22° 54' 20.709" उ	70° 31' 49.881" पू	
8.	हडियाना	22° 37' 53.267" उ	70° 14' 0.469" पू	
		22° 37' 5.550" उ	70° 14' 3.812" पू	
9.	अंतर्बेट–शामपर	22° 52' 50.163" उ	70° 29' 40.289" पू	
		22° 53' 6.062" उ	70° 30' 11.203" पू	
10.	फदसर	22° 54' 7.106" उ	70° 32' 22.571" पू	
		22° 53' 56.761" उ	70° 32' 5.278" पू	
11.	रंजीतपार	22° 47' 0.189" उ	70° 21' 46.882" पू	
		22° 46' 26.405" उ	70° 21' 55.357" पू	
12.	रामपार (पदाबेकद)	22° 51' 36.903" उ	70° 28' 42.099" पू	
		22° 51' 26.602" उ	70° 29' 17.284" पू	
13.	बलाचदी	22° 34' 53.328" उ	70° 12' 16.106" पू	
		22° 35' 1.420" उ	70° 12' 49.998" पू	
14.	मानामोरा	22° 49' 7.639" उ	70° 26' 0.252" पू	
		22° 48' 44.815" उ	70° 26' 25.229" पू	
15.	जकासिया	22° 17' 1.764" उ	69° 25' 29.763" पू	खमभलिया
		22° 16' 34.991" उ	69° 25' 49.561" पू	
16.	वधलाचारा	22° 17' 24.155" उ	69° 28' 16.164" पू	
		22° 16' 53.188" उ	69° 28' 26.708" पू	
17.	नाना अशोटा	22° 17' 5.285" उ	69° 23' 34.608" पू	
		22° 16' 32.642" उ	69° 23' 39.232" पू	
18.	क्लावद सिमानी	22° 18' 47.024" उ	69° 29' 42.854" पू	
		22° 18' 46.835" उ	69° 30' 17.975" पू	
19.	गोइज	22° 20' 34.158" उ	69° 33' 37.374" पू	

		22° 19' 43.928" उ	69° 33' 26.401" पू	
20.	चुदेश्वर	22° 21' 42.189" उ	69° 30' 42.327" पू	
		22° 21' 6.471" उ	69° 30' 46.625" पू	
21.	वेह	22° 17' 14.652" उ	69° 26' 52.569" पू	
		22° 16' 48.060" उ	69° 26' 32.524" पू	
22.	वीरपुर	22° 15' 23.371" उ	69° 17' 7.512" पू	कल्याणपुर
		22° 15' 40.335" उ	69° 17' 38.032" पू	
23.	पिंडारा	22° 12' 56.137" उ	69° 14' 12.318" पू	
		22° 12' 28.240" उ	69° 14' 30.217" पू	
24.	मेवासा	22° 15' 18.957" उ	69° 17' 5.266" पू	
		22° 14' 49.006" उ	69° 17' 19.780" पू	
25.	गुरगध	22° 14' 49.927" उ	69° 10' 16.714" पू	
		22° 14' 20.869" उ	69° 10' 0.959" पू	
26.	असोटा मोटा	22° 16' 42.632" उ	69° 19' 29.087" पू	
		22° 16' 11.474" उ	69° 19' 47.447" पू	
27.	तुपानी	22° 14' 39.852" उ	69° 10' 11.326" पू	द्वारका
		22° 14' 45.784" उ	69° 9' 42.106" पू	
28.	समलासर	22° 23' 10.958" उ	69° 4' 16.644" पू	
		22° 22' 42.487" उ	69° 4' 16.788" पू	
29.	पोसित्रा	22° 23' 46.487" उ	69° 7' 47.985" पू	
		22° 23' 5.969" उ	69° 7' 42.673" पू	
30.	पदली	22° 24' 14.913" उ	69° 2' 48.458" पू	
		22° 24' 15.942" उ	69° 2' 12.303" पू	
31.	मुलवेल	22° 19' 14.799" उ	69° 8' 55.325" पू	
		22° 18' 47.023" उ	69° 8' 49.611" पू	
32.	खटुम्बा	22° 18' 24.444" उ	69° 9' 30.755" पू	
		22° 18' 31.769" उ	69° 8' 54.176" पू	
33.	हमूसर	22° 23' 55.055" उ	69° 3' 9.094" पू	
		22° 23' 14.977" उ	69° 2' 50.736" पू	
34.	अरमदा (रीटी)	22° 26' 34.203" उ	69° 2' 46.176" पू	
		22° 27' 20.610" उ	69° 3' 18.984" पू	
35.	अनियरी	22° 15' 8.998" उ	69° 10' 25.643" पू	
		22° 15' 27.680" उ	69° 9' 57.101" पू	
36.	अदातरा	22° 26' 13.755" उ	69° 3' 1.412" पू	
		22° 26' 35.478" उ	69° 3' 20.710" पू	

उपाबद्ध–घ

[अनुच्छेद 3 देखें]

समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अंदर प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप –

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात	अभ्युक्ति
1.	वाणिज्यिक खनन	हां	–	–	घरों के निर्माण अथवा मरम्मत तथा वैयक्ति के उपयोग हेतु आवास हेतु कंट्री टाइलों या ईंटों के विनिर्माण के लिए विनियमन से मिट्टी की खुदवाई प्रतिषिद्ध नहीं होगी।
2.	वृक्षों की कटाई	–	हां	–	उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति से
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां	–	–	–
4.	प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मिट्टी, शोर, आदि)	हां	–	–	–
5.	होटल और रिसॉर्ट की स्थापना	–	हां	–	अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार पर्यावास का ध्यान रखा जाता है और वहां वन्यजीव की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।
6.	जलावन लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग	हां	–	–	होटलों तथा अन्य

IndiaCode

					व्यवसाय स्थापना के लिए
7.	कृषि प्रणालियों के तीव्र परिवर्तन	—	हां	—	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन भू–जल संचयन सहित	—	हां	—	होटलों तथा अन्य व्यवसाय स्थापना के लिए
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	—	—	—
10.	बिजली के तारों की स्थापना	—	हां	—	भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथा	—	—	हां	तथापित, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाए
12.	वर्षा जल संचयन	—	—	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना	—	हां	—	—
14.	जैविक खेती	—	—	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
15.	दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बैग का प्रयोग	—	हां	—	—
16.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	—	—	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
17.	सड़कों को चौड़ा करना	—	हां	—	इसे उपयुक्त ईआईए

IndiaCode

					तथा उपशमन उपायों के अनुसार किया जाए।
18.	रात में वाहनों का यातायात	–	हां	–	वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु
19.	विदेशी प्रजातियों का रखना	–	हां	–	–
20.	किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	–	–	–
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पा से ऊपर एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान	हां	–	–	–
22.	पहाड़ी ढ़लानों और नदी के किनारों की सुरक्षा	–	हां	–	मास्टर प्लान के अनुसार
23.	प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का विसर्जन	हां	–	–	–
24.	उपचारित बहिस्राव का प्राकृतिक जल निकायों या सीमाक्षेत्र में या प्रादेशिक क्षेत्र में निर्गत करना	–	हां	–	उपचारित बहिस्राव के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन करना होगा।
25.	हवा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण	–	हां	–	–
26.	साइन बोर्ड और होर्डिंग	–	हां	–	–
27.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना	–	–	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
28.	यांत्रिक मछली पकड़ना जिसके अंतर्गत ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ना भी है	हां	–	–	–

IndiaCode

29.	पारंपरिक रीति से मछली	—	—	हां	राज्य में विद्यमान निबंधनों और विद्यमान विधियों के साथ अनुज्ञात
30.	लवण का क्रियाकलाप	—	हां	—	—
31.	समुद्री जल की निकासी	—	हां	—	यह प्रवृत्त विधि के अनुसार विद्यमान उद्योगों का अनुज्ञात होगा।
32.	क्षेत्र या उपसतह पर प्रवहण प्रणाली और पाइप लाइनों (तेल और गैस, समुद्री जल को ग्रहण करने, उपचारित बहिस्राव) का निर्माण करना	—	हां	—	क्रियाकलाप जैसे क्षेत्र या उपसतह पर प्रवहण प्रणाली और पाइप लाइनों (तेल और गैस, समुद्री जल को ग्रहण करने, उपचारित बहिस्राव) का निर्माण करने में प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में पहले से ही विद्यमान सभी अवसंरचनात्मक और सुविधाओं को क्रियाकलापों के रूप में विनियमित करना भी है

[फा. सं. 25/2/2012-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2561(E).—Whereas, the total area of 326.26 square kilometre around Marine National Park and Marine Sanctuary has been identified as Eco-sensitive zone, of which 208.5818 square kilometre is the area towards landward side, 105.14 square kilometer towards sea and 12.5384 square

IndiaCode

kilometer is the area covered by rivers and the Marine Sanctuary covers an area of 457.92 square kilometre and an area of 162.89 square kilometre as Marine National Park was notified in 1982 and the entire Southern Coast of the Gulf in Jamnagar district is ringed by a cluster of 42 islands and many of them are fringed by coral reefs and mangrove vegetation;

And whereas, the high density and diversity in the Gulf of Kutch is due to the availability of different types of habitats like sandy, muddy, rocky, calcareous sea bed and coral beds and mangroves in the relatively sheltered waters of the Gulf and is defined as "portion of sea partially enclosed by sweep of coast and usually narrower at mouth than bay";

And whereas, the Gulf of Kutch is located in bio-geographical zone, "The coasts of Indo-Malayan Realm" and can be considered as International Union for Conservation of Nature Protected Area Category-I;

And whereas, the flora of Marine National Park mainly consists of mangroves and array of marine algae, including some commercially important species of *Agarophytes* and *Alginophytes and the* coastal line of the Gulf is fringed with luxuriant growth of *Avicennia, Rhizophora* and *Ceriops species* of mangroves and *Salvadora, Ziziypus* and *Prosopis species* are some of the terrestrial species found in that area;

And whereas, the Sanctuary has more than 70 sponge species, 37 species of hard coral and 24 species of soft coral, 150-200 species of fish, 27 species of prawn, 30 species of crab, 200 species of mollusc, 3 species of sea turtle, 3 species of sea snake, 3 species of sea mammal, 94 species of aquatic bird and 78 species of terrestrial bird;

And whereas, many developmental activities including industrial, ports, infrastructural and fishing etc. have been going on in the areas

adjoining the Marine National Park and Marine Sanctuary and thus causing adverse environmental impacts on the Marine National Park and Marine Sanctuary, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Marine National Park and Marine Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to protect, propagate or develop wild life therein or its environment;

And whereas, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 353(E), dated the 29th February, 2012, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 29th February, 2012;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government

hereby notifies the area up to a length of one kilometre from the coastal boundary towards landward side; an area within 200 metre from the boundary of Marine National Park and Sanctuary towards seaward side and 31 rivers flowing into the Gulf of Kachchh with their length varying from 0 to 5 kilometre and a width of 250 metre from the centre of the river on both sides of river from the boundary of the protected area of Marine National Park and Marine Sanctuary in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone) and also in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby constitute a State Level Eco-sensitive Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC) and on and from the date of publication this notification, the SESZMC shall monitor the compliance of this notification, in accordance with the following namely:-

1. **Boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the ESZ) towards landward side constitutes an area of about 208.58 square kilometre including 36 villages adjoining Marine National Park and Sanctuary and the boundary of the ESZ from coastal boundary towards landward side extends up to a length of one kilometre which include either whole or part of survey numbers upto this limit of one kilometre.

(2) The ESZ towards seaward side constitutes an area of 105.14 square kilometre and an area within 200 metre from boundary of Marine National Park and Sanctuary towards seaward side has been included in the said Zone.

(3) 31 rivers which flow into the Gulf of Kachchh have been included in the ESZ and the length of the rivers falling in the said Zone varies from 0 to 5 square kilometre and a width of 250 metre from the centre of the river on both sides of river has also been included in the said Zone which constitute a total area of 12.53 square kilometre.

(4) The Eco-sensitive zone is bounded by 22°55'31.33" N latitude and 70°32'57.02" E longitude towards East; 22°28'1.31" N latitude and 69°3'33.77" E longitude towards West; 22°56'14.26" N latitude and 70°25'54.27" E longitude towards North and 22°13'12.35" N latitude and 69°17'43.97" E longitude towards South.

(5) The boundary description of the ESZ of the Marine National Park and Marine Sanctuary is appended with this notification as **Annexure-A.**

(6) The map of the ESZ boundary together with latitude-longitude of the extremes of the boundary is appended with this notification as **Annexure-B.**

(7) The list of villages falling within the ESZ is appended as **Annexure-C** and the same shall be revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall prepare in consultation with local people a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and the same shall be approved by the Ministry of Environment and Forests.

IndiaCode

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned Local Self Governments and the State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Agriculture, Revenue, Public Works Department, Gujarat State Pollution Control Board, Gujarat Coastal Management Authority, Water Resources, Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development etc. for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) The Zonal Master Plan shall regulate the development in the ESZ so as to meet the requirement of local people without affecting the rights and privileges of the bona-fide residents and also ensure eco friendly development for their livelihood security.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

IndiaCode

(7) (a) Change of land use such as forest, horticulture areas, agriculture, parks and open spaces earmarked for recreational purposes for the commercial or industrial development activities shall not be permitted in the ESZ:

Provided that the conversion of agricultural lands within the ESZ shall be permitted to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population with the prior approval of the State Government on the recommendation of SESZMC:

Provided further that no change in use of land from tribal uses to non-tribal usages shall be permitted without the prior approval of the State Government.

IndiaCode

(8) There shall be no consequential reduction in green area such as forest area, agricultural area, etc.

(9) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

(10) (a) The tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan prepared by the Department of Tourism of the Gujarat State Government;

(b) The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan and shall be based on a detailed carrying capacity study

of the concerned protected area as well as the ESZ, which may be carried out by the State Government.

(c) All new tourism activities, development for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this Tourism Master Plan.

(d) The carrying capacity study shall be carried out based on the existing infrastructure and shall not be based on future projections of any project that requires environmental or forest clearance.

(e) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the Monitoring Committee only after a detailed examination and shall be subject to the guidelines laid down by the State Government and the Central Government in this regard.

3. Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-sensitive Zone.- (1) All activities in the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(2) The activities in the ESZ are prohibited, regulated or permitted in accordance with **Annexure-D** to this notification.

(3) (a) No new polluting industries and expansion of existing industries shall be allowed in the ESZ.

IndiaCode

3652 GI/13 - 5

(b) The existing industries such as salt manufacturing units, ship breaking and building units, shipping yards, etc. shall not be allowed to discharge effluents, slurry, etc. into the ESZ and shall take adequate measures to prevent any leakage of brine water or harmful chemicals into the water.

(c) The raw material (crude oil) and finished product carrying vessels from the refineries shall not pollute the ESZ.

(d) No washing release of ballast water or any hydro carbon material shall be permitted in the ESZ.

(4) The structures connected with small agro-based industries, activities related to the needs of the local village economy and processing or storage of local agro-based products shall be allowed subject to the permission to be obtained from the revenue authorities for alienation of land for non-agricultural purposes.

(5) (a) All quarrying and mining activities shall be banned in the ESZ and no fresh mining leases shall be granted.

(b) Collection of shells or any other marine resources in the ESZ shall be prohibited.

(6) Mechanised fishing including fishing by trawlers shall be prohibited.

(7) (a) Strict norms shall be followed in regulating the movement of vehicles in and around the ESZ.

IndiaCode

(b) Preventive measures shall be taken during transportation of goods, etc. in order to prevent spraying dust particles on mangroves and other flora and fauna.

(c) The Gujarat Maritime Board and the industrial units using their jetties shall take measures to contain the dust particles from their godowns or consignments.

(d) Preventive measures shall be taken to prevent leakages of fuel from the vehicles and to prevent oil spills in and around the ESZ.

(8) There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private land without the prior permission of the State Government in case of forest land and respective district Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.

(9) The use of plastics, laminates and tetra-packs within the ESZ shall be regulated as per the activities mentioned in this notification.

(10) Any non-forestry activities shall be regulated in accordance with the guidelines issued *vide* letters No. 6-10/2011WL the dated 15th March, 2011 and the 19th December, 2012 by the Ministry of Environment and Forests.

(11) (a) No untreated effluent shall be permitted to be discharged into any water body or water source within the ESZ.

(b) Effluents from all existing industrial or residential areas shall be treated and recycled properly and if possible the treated water may be reused for various purposes.

(c) If discharge of treated or untreated is inevitable, it shall be done in deep sea through long distance leak proof pipe line strictly in

accordance to the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(12) (a) The discharge of any industrial solid wastes in the ESZ shall be prohibited.

(b) The local authorities shall draw up plans for the segregation of domestic solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(c) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material shall be disposed of at environmentally acceptable locations.

(d) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

(e) The solid waste disposal in the ESZ shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 issued by the Central Government *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 and amended from time to time.

(13) (a) The catchment area of all natural springs and streams shall be identified and their conservation plans along with rejuvenation plans of those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(b) Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

IndiaCode

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.– (1) A State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC) shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following Chairman and Members, namely:-

(a) Chief Secretary, Government of Gujarat- Chairman

(b) a representative of the Department of Urban Development, Government of Gujarat – Member;

(c) a representative of the Ports and Transport Department, Government of Gujarat – Member;

(d) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Gujarat – Member;

(e) the Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Gandhi Nagar– Member;

(f) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Gujarat - Member;

(g) the District Collector or his representative, Jamnagar – Member;

(h) the Director, Marine National Park and Marine Sanctuary – Member.

(i) Director, Department of Environment, Government of Gujarat– Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) In case of activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the ESZ except the prohibited activities as provided under sub-paragraph(2) of paragraph 3 and Annexure-D to this notification, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the Central Government in the

Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule of notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the ESZ except the prohibited activities as provided under sub-paragraph(2) of paragraph 3 and Annexure-D to this notification, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the SESZMC for effective discharge of their functions.

IndiaCode

Annexure-A

Boundary description of the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

North :- Coastal boundary of village Adatra , village boundary of Adatra, Coastal boundary of village Padli, Coastal boundary of village Hamusar, Coastal boundary of village Shamlasar, Coastal boundary of village Poshitra, village boundary of Poshitra, Coastal boundary of village Khatumba, boundary of village Khatumba, boundary of village Aniary of Dwarka Taluka of Jamnagar District, Tata salt, Coastal boundary of village Pindhara, Coastal boundary of village Mevasa and village boundary of Virpur, Coastal boundary of village Virpur, Coastal boundary of village Mota Ashota of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Nana Ashota, Coastal boundary of village Zakasiya, Coastal boundary of village Beh, Coastal boundary of Vachalabara area, Coastal boundary of village Kalawad simani, Coastal boundary of village Chudeshwar, Coastal boundary of village Goinj of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Boundary of village Balachadi towards village Khiri, Coastal boundary of village Balachadi, Coastal boundary of village Hadiyana, Coastal boundary of village Kunnad, Coastal boundary of village Jodiya, Coastal boundary of village Ranjitpar, Coastal boundary of village Jamsar, Coastal boundary of village Manamora, Coastal boundary of village Kothariya, Coastal boundary of village Rampar Padabekar, Coastal boundary of village Bela and village Untbet sampar, boundary of village Zinzuda towards Fadsar and coastal boundary of village Zinzuda of Jodiya Taluka of Jamnagar District

East :- Village boundary of Bodki of Maliya Taluka of Rajkot District, Coastal boundary of village Goinj and village boundary of Salaya of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District.

South :- Boundary of village Arambhada towards Adatra village, boundary of village Padli towards Arambhada village, 1 Km. distance from coastal boundary of village Padli and survey numbers 13, 10, 16, 17, 3pt, 23pt, 28 of village Padli, 1 Km. distance from Revenue boundary of village Hamusar and survey numbers 16, 15, 14, 140, 44, 162, 163, 58, 59, 66, road of village Hamusar, 1 Km distance from coastal boundary of village Samlasar and survey numbers 222, 221, 220, 110, 114, 113, 94, 95, 101, 100, 168, 170, 211, 212, 210, 209, 208, 233, 234, 239, 238, 260, 250, 251, 225, 288 pt of village Samlasar, 1 Km. distance from coastal Boundary of village Roshitra and survey numbers 1pt, 412, 419, 420, 430, 431, 482, 479, 478, 498, 501, 517, 516, 6, 7, 14, 36, 62, 63, 64, 65, 60, 52, 53, 40, 47, 453, 451, 447, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 154, 167, 164, 237, 235, 243, 242, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 250, 249, 254, 251, 252, 280, 282, 283, 284, 285, 324, 323, 321, 320,

319, 336, 337, 338, 301, 302, 303 of village Poshitra, Boundary of village Poshitra towads village Mulvel and survey numbers 210 of village Mulvel, 1 Km. distance of coastal boundary of village Khatumba and survey numbers 39/1, 38, 45, 46, 54, 53, 62, 56, 57, 58, 59pt of village Khatumba, Boundary of village Tupani of village Aniary, Boundary of village Gurgadh of village Tupani and survey numbers 241pt of Dwarka Taluka of Jamnagar District, 1 Km of distance from coastal boundary of village Gurgadh and survey numbers 61pt, 20, 404pt, 70, 28/2, 27, 25, 511, 436, 477, 478, 442, 445, 449, 450, 456, 457, 470, 471, 472, 473, 478, 479, 521, 520, 427, 402, 528, 421, 385, 533, 370, 364, 365, 366 of village Gurgadh; 1 Km. distance from coastal boundary of village Pindhara and survey numbers 111, 112, 198, 90, 89, 82, 81, 80, 399, 420, 394, 71, 424, 68, 41, 40, 44, 422, 45, 46, 48, 49, 24, 336, 405, 339, 43, 4/1, 336pt, 433, 371, 317, 316, Rasto of village Pindhara, 1 Km. distance from coastal boundary of village Mevasa and survey numbers 330pt, 267, 266, 268/2, 270, 274, 424, of village Mevasa, 1 Km. distance from coastal boundary of village Virpur and survey numbers 118/2, 155, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110pt, 59, 183, 56, 53 of village Virpur, 1 Km. distance from coastal boundary of village Mota Ashota and Survey numbers 550, 215, 171, 172, 238pt, 167, 168, 181, 128, 129, 125, 124, 123, 192, 194, 201, 202, 200, 285, 286, 521, 520, 75, 76, 71, 72, 69, 66, 55, 538, 45, 47 of village Mota Ashota of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, 1 Km. distance from coastal boundary and Survey numbers 99, 101, 95, 92, 91, 128 pt, 66, 62/1, 68, 15, 16, 18, 22, 27, 27/2, 28, 50, 48, 47 of village Nana Ashota, 1 Km. distance from coastal boundary of village Zakasiya and Survey numbers 101, 412, 406, 407, 74, 77, 73, 409, 72, river of village Zakasiya, 1 Km distance from coastal boundary of village Beh and survey numbers 91, 89, 82, 81, 83, 73, 72, 67, 56, 58, 49, 50, 30, 27, 22, 20, 19,18, 16, 15, 9, 456, 455, 439, 431, 428, River of village Beh, 1 Km distance from coastal boundary of village Vachlabara and survey numbers 859, 858, 857, 883, 844, 885 ,804, 803, 810, 815, 814, 817, 822, 797, 739, 717, 711, 710, 712, 709, 572, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 581, 599, 598, 597, 596, 593, 530, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 511, 508, 509, 519, 520, 516, 515, 527, 594, 603, 604, 616, 617, 619, 642, 380, 379, 367, 364, 348, 347, 345, 363, 263, 264, 259, travers number of village Vachlabara, 1 Km distance from coastal boundary of village Kalavad simani and survey numbers 179pt, 3, 7, 8, 161, 160, 158, 152, 149, 128, 132, 124, 125, 121, 91, 93, 182 of village Kalavad simani, 1 Km distance from coastal boundary of village Chudeshwar and survey numbers 249, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 320, 325, 237, 129, 102, 72, 71, 70, 75, 76, 87, 86 of village Chudeshwar, 1 Km distance from coastal boundary of village Goinj and survey numbers 267, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 304, 303, 302, 301, 299, 225, 211, 212, 197, 196, 185, 123, 179, Rasto of village Goinj of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Boundary of village Sachana towards Khiri village, 1 Km. distance from coastal boundary of village Balachadi and survey numbers 8, 86, 99, 116, 76,

118, 5, 140, 139, 138, 19, 20, 21, 119, 24, 25, 59, 58, 56 of village Balachadi, 1 Km. distance from coastal boundary of village Hadiyana and survey numbers 629pt, 628pt, 653pt of village Hadiyana, 1 Km. distance from coastal boundary of village Kunnad and survey numbers 315 pt, 326, 329, 330, 332, 333, 334, Rasto of village Kunnad, 1 Km. distance from coastal boundary of village Jodiya and survey numbers 411, 393, 391pt, 390, 388, river, 339, 349, 325, 328, 310, 305, 302, 299pt, 298pt of village Jodiya, 1 Km. distance from coastal boundary of village Ranjitpar and survey numbers 410pt of village Ranjitpar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Jamsar and survey numbers 119pt, 121, 70, 71, 72, 74, 73, 94, 97, 98, 103, 102 of village Jamsar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Manamora and survey numbers 299, 301, 302, 303, 304, 273, 274, 272, 271, 252, 367pt, 242, 190, 368, 79, 63, 139, 62, 159, 158, 154, 156, 142, 141, 130 of village Manomora, 1 Km. distance from coastal boundary of village Kothari and survey numbers 160, 146, 144, 133, 132, 117, 116, 119, 108, 107, 66, 67, 69, 74 of village Kothari, 1 Km. distance from coastal boundary of village Rampar padabekar and survey numbers 306, 305, 310, 297, 312, 313, 316, 119, 120, 121, 130, 131, 136, 133, 134, 163, 172, 171, 170, 169, 179, 183, 185, 184 of village Rampar padabekar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Bela and survey numbers 192, 191, 175, 157, 291, 312, 293 of village Bela, 1 Km. distance from coastal boundary of village Untbet sampar and survey numbers 232pt, 208, 175, 170, 151, 150, 146, 143, 140 of village Untbet sampar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Fadsar and survey numbers 401/1pt, 1 Km. distance from coastal boundary of village Zinzuda and survey numbers 129/1, 3, 83, 37, 9, 39, 30, 78, 75, 70 of village Zinzuda of Jodiya Taluka of Jamnagar District.

West :- Coastal boundary of village Khiri and Balachadi of Jodiya Taluka of Jamnagar District and village boundary of Adatra and Arambhada of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

Boundary description of rivers falling in the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

North :- Coastal boundary of village Zinzuda and Untbet sampar of Zinzuda river, Coastal boundary of village Ranjitpar, Jamsar and Manamora of Aji river, Coastal boundary of village Jodiya and Kunnad of Und river, Coastal boundary of village Hadiyana of Kankavati river, Coastal boundary of village Sachana and Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Jambuda of Jambuda river, Coastal boundary of village Dhunvav of Dhunvav river, Coastal boundary of village Navanagna and Junanagna of Nagna river, Coastal boundary of village Sarmat of Sarmat river, Coastal boundary of village Bed of Sasoi river, Coastal boundary of village Nanikhavadi of Khavadi river, Coastal boundary of village Gagwa of Gagwa river of

Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Jogvad of Jogvad river, Coastal boundary of village Zhakhar of Zhakhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Bharana of Bharana river, Coastal boundary of village Mandha of Mandha river, Coastal boundary of village Mota mandha of Sinhan river, Coastal boundary of village Kothavisotri of Ghi river, Coastal boundary of village Goinj of Goinj river, Coastal boundary of village Vachalabar of Bara river, Coastal boundary of village Beh of Beh river, Coastal boundary of village Beh and Zakasiya of Zakasiya river, Coastal boundary of village Nana ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Mota ashota of Mota ashota river, Coastal boundary of village Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

East :- Village boundary of Zinzuda and Fadsar of Zinzuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar, Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Jodiya of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Navanagna and Vibhapar of Nagna river, Village boundary of Kharaberaja and Gordhanpar of Sarmat river, Village boundary of Sarmat and Vasai of Sasoi river, Village boundary of Khavdi of Khavdi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of Zhankhar of Zhankhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mota mandha and Timbadi of Mandha river, Village boundary of Nana mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri, Kabarvisotri, Sodasala of Ghi river, Village boundary of Goin of Goinj river, Village boundary of Vachlabara of Bara river, Village boundary of Vachlabara of Beh river, Village boundary of Beh of Zakasiya river, Village boundary of Nana ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Nana ashota of Mota ashota river, Village boundary of Mevasa of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Poshitra and Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

South :- Village boundary of Fadsar of Zinzuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar and Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Jodiya of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Vibhapar and Nagna of Nagna river, Village boundary of Sarmat of Sarmat river, Village boundary of Bed of Sasoi river, Village boundary of Khavadi of Khavadi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of

Zhankhar of Zhankhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mandha of Mandha river, Village boundary of Mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri and Kabarvisotri of Khiri river, Village boundary of Goinj of Goinj river, Village boundary of Vachalabara of Bara river, Village boundary of Beh of Beh river, Village boundary of Beh of Zakasiya river, Village boundary of Nana ashota of Nana Ashota river of Khambhaliya of Jamnagar District, Village boundary of Mota ashota of Mota Asota river, Village boundary of Mevasa and Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

West :- Village boundary of Untbet sampar and Zinjuda of Zinjuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar and Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Kunnad of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri and Sachana of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Nagna of Nagna river, Village boundary of Sarmat of Sarmat river, Village boundary of Bed of Sasoi river, Village boundary of Khavadi of Khavadi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of Zhankhar of Zhankar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mandha of Mandha river, Village boundary of Mota mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri and Kabarvisotri of Ghi river, Village boundary of Goinj of Goinj river, Village boundary of Vachalabara of Bara river, Village boundary of Beh of Beh river, Village boundary of Beh and Zakashiya of Zakasiya river, Village boundary of Nana asota of Nana Ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Mota ashota of Mota ashota river, Village boundary of Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

Boundary description of around 200 metre towards the sea of the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

North :- Gulf of Kachchh towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Gulf of Kachchh towards Barani nar, Gulf of Kachchh towards Berajani nar, Gulf of Kachchh towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Gulf of Kachchh towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near

Mithapur, Gulf of Kachchh towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Gulf of Kachchh towards coral of west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area of Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gadnhio kado tapu, Gulf of Kachchh towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Gulf of Kachchh towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Gulf of Kachchh towards Morzangi, Gulf of Kachchh towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachchh towards Pirotan tapu, Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Gulf of Kachchh towards Rozi bet, Gulf of Kachchh towards Rozinar jungle, Gulf of Kachchh towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Gulf of Kachchh towards Sui nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Gulf of Kachchh towards West side Okhari.

East :- Marine Sanctuary towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Marine Sanctuary towards Barani nar, Marine Sanctuary towards Berajani nar, Marine National Park towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Marine National Park towards Bhalori and Gulf of Kachchh, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Marine National Park towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Gulf of Kachchh towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Marine National Park towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Marine National Park of coral towards west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gadnhio kado tapu, Marine National Park towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Marine Sanctuary towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine National Park towards Morzangi, Gulf of Kachchh towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachchh towards Pirotan tapu,

Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Gulf of Kachchh towards Rozinar jungle, Gulf of Kachchh towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Marine Sanctuary towards Sui nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Gulf of Kachchh towards West side Okhari.

South :- Marine Sanctuary towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Marine Sanctuary towards Ashota ni nar, Marine Sanctuary towards Babudhoro, Marine Sanctuary towards Barani nar, Marine Sanctuary towards Berajani nar, Marine National Park towards Bhad, Sanctuary and National Park and Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Marine National Park towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Marine National Park towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Marine National Park towards coral of west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area of Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Marine Sanctuary towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gandhio kado tapu, Marine National Park towards Jindra tapu, Marine Sanctuary towards Kadiyari, Marine Sanctuary towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine National Park towards Morzangi, Marine National Park towards Moshido, Gulf of Kachchh and Marine sanctuary towards Moto kharo, Marine sanctuary towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Marine Sanctuary towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu; Marine sanctuary and National Park and Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Marine National Park and Sanctuary towards Pirotan tapu, Marine National Park and sanctuary towards Rai bet, Marine Sanctuary and Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Marine Sanctuary towards Ribdi, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Marine Sanctuary towards Rozinar jungle, Marine Sanctuary towards Rozinar no val, Marine Sanctuary towards Sikotari titar dhoro, Marine sanctuary and Gulf of Kachchh towards f Sui nu jungle, Marine Sanctuary towards Untado, Marine Sanctuary towards Vadinar, Marine Sanctuary towards West side of Okhari.

West :- Gulf of Kachchh towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh and Marine Sanctuary towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Gulf of Kachchh towards Barani nar, Marine National Park towards Berajani nar, Gulf of Kachchh towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda,

Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Marine National Park and Sanctuary towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Gulf of Kachchh towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Gulf of Kachchh towards coral of west of Kalubhar, Marine Sanctuary towards coastal area of Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gandhio kado tapu, Marine National Park and Sanctuary towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Marine National Park towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine Sanctuary towards Morzangi, Marine National Park towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh and Marine Sanctuary towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachhh towards Pirotan tapu, Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Marine Sanctuary towards Rozinar jungle, Marine Sanctuary towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Gulf of Kachchh towards Sui nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Marine Sanctuary towards West side of Okhari.

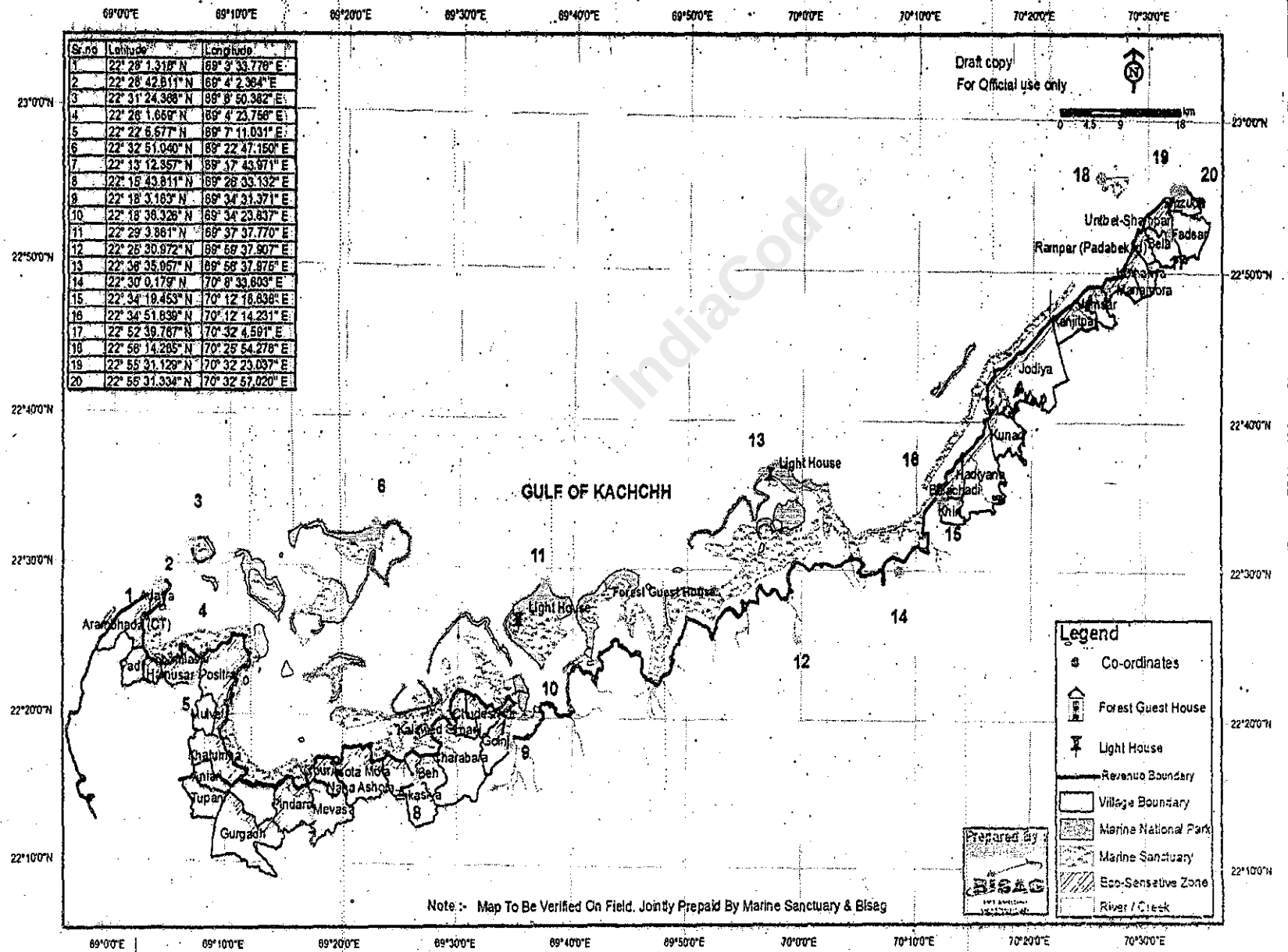
Total area of the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone Jamnagar

Name of National Park /Sanctuary	Description of the Eco-sensitive zone	Area in hectare
Marine Sanctuary and Marine National Park	(1) 1 Km. distance towards landward side	20858.18
	(2) Rivers falling in Eco-sensitive zone	1253.84
	(3) 200 mt. towards sea	10514.00
	Total :-	**32626.02**

Annexure-B

Map Showing the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone, District Jamnagar, Gujarat

Sr.no	Latitude	Longitude
1	22° 28' 1.316" N	69° 3' 33.778" E
2	22° 28' 42.611" N	69° 4' 2.364" E
3	22° 31' 24.368" N	69° 8' 50.382" E
4	22° 28' 1.669" N	69° 4' 23.756" E
5	22° 22' 6.677" N	69° 7' 11.031" E
6	22° 32' 51.040" N	69° 22' 47.150" E
7	22° 15' 12.957" N	69° 17' 43.971" E
8	22° 15' 43.811" N	69° 26' 33.132" E
9	22° 18' 3.163" N	69° 34' 31.371" E
10	22° 18' 36.326" N	69° 34' 23.837" E
11	22° 29' 3.861" N	69° 37' 37.770" E
12	22° 25' 30.972" N	69° 58' 37.907" E
13	22° 36' 35.957" N	69° 58' 37.876" E
14	22° 30' 0.179" N	70° 8' 33.603" E
15	22° 34' 19.453" N	70° 12' 18.838" E
16	22° 34' 51.839" N	70° 12' 14.231" E
17	22° 52' 39.767" N	70° 32' 4.591" E
18	22° 56' 14.265" N	70° 25' 54.276" E
19	22° 55' 31.129" N	70° 32' 23.037" E
20	22° 55' 31.334" N	70° 32' 57.020" E



IndiaCode

Annexure-C

Statement showing the Latitude and Longitude of villages falling in the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

S.No.	Name of village	Lat.	Long.	Taluka
1.	Bela	22° 52' 48.180" N	70° 29' 40.874" E	Jodiya
		22° 52' 21.306" N	70° 29' 59.395" E	
2.	Kunad	22° 40' 15.651" N	70° 16' 8.782" E	
		22° 39' 26.782" N	70° 16' 27.660" E	
3.	Kothariya	22° 50' 30.953" N	70° 28' 1.868" E	
		22° 50' 15.318" N	70° 28' 32.659" E	
4.	Khiri	22° 34' 18.958" N	70° 12' 17.735" E	
		22° 34' 19.362" N	70° 12' 21.109" E	
5.	Jodiya	22° 40' 44.181" N	70° 16' 24.411" E	
		22° 40' 58.523" N	70° 16' 55.072" E	
6.	Jamsar	22° 48' 9.412" N	70° 23' 46.369" E	
		22° 47' 55.433" N	70° 24' 20.463" E	
7.	Zinzuda	22° 54' 27.746" N	70° 31' 54.708" E	
		22° 54' 20.709" N	70° 31' 49.881" E	
8.	Hadiyana	22° 37' 53.267" N	70° 14' 0.469" E	
		22° 37' 5.550" N	70° 14' 3.812" E	
9.	Untbet-Shampar	22° 52' 50.163" N	70° 29' 40.289" E	
		22° 53' 6.062" N	70° 30' 11.203" E	
10.	Fadsar	22° 54' 7.106" N	70° 32' 22.571" E	
		22° 53' 56.761" N	70° 32' 5.278" E	
11.	Ranjitpar	22° 47' 0.189" N	70° 21' 46.882" E	
		22° 46' 26.405" N	70° 21' 55.357" E	
12.	Rampar (Padabekad)	22° 51' 36.903" N	70° 28' 42.099" E	
		22° 51' 26.602" N	70° 29' 17.284" E	
13.	Balachadi	22° 34' 53.328" N	70° 12' 16.106" E	
		22° 35' 1.420" N	70° 12' 49.998" E	
14.	Manamora	22° 49' 7.639" N	70° 26' 0.252" E	
		22° 48' 44.815" N	70° 26' 25.229" E	
15.	Zakasiya	22° 17' 1.764" N	69° 25' 29.763" E	Khambhaliya
		22° 16' 34.991" N	69° 25' 49.561" E	
16.	Vachlabara	22° 17' 24.155" N	69° 28' 16.164" E	
		22° 16' 53.188" N	69° 28' 26.708" E	
17.	Nana Ashota	22° 17' 5.285" N	69° 23' 34.608" E	
		22° 16' 32.642" N	69° 23' 39.232" E	
18.	Kalawad Simani	22° 18' 47.024" N	69° 29' 42.854" E	
		22° 18' 46.835" N	69° 30' 17.975" E	

19.	Goinj	22° 20' 34.158" N	69° 33' 37.374" E	
		22° 19' 43.928" N	69° 33' 26.401" E	
20.	Chudeshvar	22° 21' 42.189" N	69° 30' 42.327" E	
		22° 21' 6.471" N	69° 30' 46.625" E	
21.	Beh	22° 17' 14.652" N	69° 26' 52.569" E	
		22° 16' 48.060" N	69° 26' 32.524" E	
22.	Virpur	22° 15' 23.371" N	69° 17' 7.512" E	Kalyanpur
		22° 15' 40.335" N	69° 17' 38.032" E	
23.	Pindara	22° 12' 56.137" N	69° 14' 12.318" E	
		22° 12' 28.240" N	69° 14' 30.217" E	
24.	Mevasa	22° 15' 18.957" N	69° 17' 5.266" E	
		22° 14' 49.006" N	69° 17' 19.780" E	
25.	Gurgadh	22° 14' 49.927" N	69° 10' 16.714" E	
		22° 14' 20.869" N	69° 10' 0.959" E	
26.	Asota Mota	22° 16' 42.632" N	69° 19' 29.087" E	
		22° 16' 11.474" N	69° 19' 47.447" E	
27.	Tupani	22° 14' 39.852" N	69° 10' 11.326" E	Dwarka
		22° 14' 45.784" N	69° 9' 42.106" E	
28.	Shamlasar	22° 23' 10.958" N	69° 4' 16.644" E	
		22° 22' 42.487" N	69° 4' 16.788" E	
29.	Positra	22° 23' 46.487" N	69° 7' 47.985" E	
		22° 23' 5.969" N	69° 7' 42.673" E	
30.	Padli	22° 24' 14.913" N	69° 2' 48.458" E	
		22° 24' 15.942" N	69° 2' 12.303" E	
31.	Mulvel	22° 19' 14.799" N	69° 8' 55.325" E	
		22° 18' 47.023" N	69° 8' 49.611" E	
32.	Khatumba	22° 18' 24.444" N	69° 9' 30.755" E	
		22° 18' 31.769" N	69° 8' 54.176" E	
33.	Hamusar	22° 23' 55.055" N	69° 3' 9.094" E	
		22° 23' 14.977" N	69° 2' 50.736" E	
34.	Arambhada(CT)	22° 26' 34.203" N	69° 2' 46.176" E	
		22° 27' 20.610" N	69° 3' 18.984" E	
35.	Aniari	22° 15' 8.998" N	69° 10' 25.643" E	
		22° 15' 27.680" N	69° 9' 57.101" E	
36.	Adatra	22° 26' 13.755" N	69° 3' 1.412" E	
		22° 26' 35.478" N	69° 3' 20.710" E	

Annexure-D
[See paragraph 3]

Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone.

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Promoted	remarks
1.	Commercial Mining	Yes	-	-	Regulation will not prohibit the digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.
2.	Felling of trees	-	Yes	-	With permission from appropriate authority.
3.	Setting of saw mills	Yes	-	-	-
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc)	Yes	-	-	-
5.	Establishment of hotels and resorts	-	Yes	-	As per approved Master Plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals.

IndiaCode

6.	Commercial use of firewood	Yes	-	-	For hotels and other business related establishment
7.	Drastic change of agriculture systems	-	Yes	-	-
8.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting	-	Yes	-	As per approved Master Plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals.
9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes	-	-	-
10.	Erection of electrical cables	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local Communities along with aquaculture and fisheries	-	-	Yes	Excessive expansion of some of these activities and excessive exploitation of the marine resources shall be regulated as per the Master Plan.
12.	Rain Water harvesting	-	-	Yes	Shall be promoted.
13.	Fencing of premises of hotels and lodges	-	Yes	-	-
14.	Organic farming	-	-	Yes	Shall be promoted.
15.	Use of	-	Yes	-	-

IndiaCode

	polythene bags by shopkeepers				
16.	Use of renewable energy sources	-	-	Yes	Shall be promoted.
17.	Widening of roads	-	Yes	-	This shall be done with proper Environment Impart Assessment and mitigation measures.
18.	Movement of vehicular traffic at night	-	Yes	-	For commercial purpose.
19.	Introduction of exotic species	-	Yes	-	-
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes	-	-	-
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons and activities related to coastal tourism	Yes	-	-	-
22.	Protection of hill slopes and river banks and coastal areas	-	Yes	-	As per the Master Plan
23.	Discharge of untreated effluents and	Yes	-	-	-

IndiaCode

	solid waste in natural water bodies or terrestrial area				
24.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or terrestrial area	—	Yes	-	Recycling of treated effluent be encouraged and for disposal of sludge or solid waste, the existing regulations shall be followed.
25.	Air and vehicular pollution	-	Yes	-	-
26.	Sign boards and hoardings	-	Yes	-	-
27.	Adoption of green technology for all activities	-	-	Yes	Shall be promoted.
28.	Mechanised Fishing including fishing by trawlers	Yes	-	-	-
29.	Traditional fishing	-	-	Yes	Permitted with restrictions and laws prevailing in the State.
30.	Salt work activities	-	Yes	-	-
31.	Sea water withdrawal	-	Yes	-	It shall be allowed to the existing Industries as per the law in force.

IndiaCode

32.	Erection of conveying systems and pipelines(oil and gas, seawater intake, treated effluent) on terrestrial or sub-surface	-	Yes	-	Activities like erection of conveying systems and pipelines(oil and gas, seawater intake, treated effluent) on terrestrial or sub-surface shall be included under the regulated activities as all these infrastructure or facilities already exists in the proposed ESZ.

[F. No. 25/2/2012-ESZ/RE]

DR. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.